



4 PM

सांध्य दैनिक



नारी को गठरी के समान नहीं बल्कि इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए कि वक्त पर पुरुष को गठरी बना अपने साथ ले चले।

-डा. राम मनोहर लोहिया

मूल्य ₹ 3/-

जिद...सच की

www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_SanjayS YouTube 4pm NEWS NETWORK

वर्ष: 11 अंक: 25 पृष्ठ: 8 लखनऊ, मंगलवार, 25 फरवरी, 2025

चैम्पियन ट्रॉफी : न्यूजीलैंड-भारत...

7

सुनामी से ज्यादा तेज गति से...

3

कुछ लोगों ने महाकुंभ में...

2

लालू यादव को लगा बड़ा झटका, सियासी हंगामा, राजद ने एनडीए पर साधा निशाना

- » लालू की बेटी और तेज प्रताप को भी कोर्ट ने किया तलब
- » दिल्ली की राज एवेन्यू कोर्ट ने जारी किया समन

4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। दिल्ली की राज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद को जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में तलब किया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने लालू प्रसाद के बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव और बेटी हेमा यादव को भी तलब किया है। इसके बाद से सियासत भी गरमा गई है। विपक्ष का दावा है कि लालू प्रसाद के एनडीए पर मुखर होने की वजह से भाजपा लालू परिवार पर दबाव बनवा रही है। इन सबके बीच राजद ने कहा है आने वाले चुनाव में जनता राजद को सपोर्ट करेगी और उसकी सरकार बनेगी। उधर भाजपा ने सारी बातों को बकवास बताया है।

बता दें लालू प्रसाद ने रविवार को विवादित बयान देते हुए महाकुंभ को 'अर्थहीन' करार दिया और नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ से हुई लोगों की मौत के लिए रेलवे को जिम्मेदार ठहराया। लालू ने कहा, "बहुत दुखद घटना घटी है, हम सब लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह रेलवे की गलती है। रेलवे के कुप्रबंधन और लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। इस घटना के बाद केंद्रीय रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। महाकुंभ को लेकर बढ़ती भीड़ के बारे में पूछे जाने पर राजद प्रमुख ने कहा कि 'अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ।

11 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश

न्यायाधीश ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो के छोटे बेटे और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी नए समन जारी किए हैं। आरोपियों को 11 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है। भ्रष्टाचार के इस मामले में सीबीआई ने 78 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को समन जारी किया है।

आरजेडी नेता सुनील सिंह की सदस्यता होगी बहाल

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में अपनी विधान पार्षद की सदस्यता गंवा चुके राजद नेता सुनील सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को सुनील सिंह की सदस्यता को बहाल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने धारा 142 का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश जारी किया। इसके साथ ही कोर्ट ने आचार समिति की जारी अधिसूचना भी रद्द कर दी है। सुनील सिंह पर विधानमंडल के सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद के समय नीतीश कुमार की मिमिक्री करने के आरोप लगे थे। आरोप के बाद जदयू एमएलसी की शिकायत पर मामले की जांच के लिए समिति बनाई गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुनील सिंह को नीतीश कुमार का मिमिक्री करने की बात की ओर इसे अनुशासनहीनता माना।



जमीन के बदले नौकरी के मामले में चल रही सुनवाई

यह मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य मंडल में की गई समूह 'डी' नियुक्तियों से संबंधित है। अधिकारियों के अनुसार, केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में प्रसाद के कार्यकाल के दौरान 2004 और 2009 के बीच राजद सुप्रीमो के परिवार या सहयोगियों को उपहार के रूप में या उनके नाम पर भूखंड हस्तांतरित करने के बदले ये नियुक्तियां की गईं। लालू प्रसाद, उनकी पत्नी, दो बेटियों, अज्ञात सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों सहित अन्य के खिलाफ 18 मई, 2022 को एक मामला दर्ज किया गया था।

बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में संग्राम

सदन में गिद्ध और सुअर तक पहुंची बात, माता प्रसाद पाण्डेय ने कंस से कर दी तुलना

4पीएम न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। यूपी की राजनीतिक लड़ाई अब शब्दावली को लेकर गरम पर है। नेता सदन और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष द्वारा कुंभ के मिसमैनेजमेंट पर लगातार उठाये जा रहे सवाल का जवाब गिद्ध और सुअर वाली कहावत के साथ दिया तो सपा ने भी जस को तस की तरह उसमें एक और नगीना जड़ दिया।

नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पाण्डेय ने बातों ही बातों में कंस और कृष्ण की कहानी सुना कर सूबे राजनीतिक महौल को सांतवे आसमान पर पहुंच दिया है। हालांकि अभी बजट सत्र के कई दिन बाकी हैं और यह लड़ाई कहा रूकेगी किसी को पता नहीं।

यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पाण्डेय ने सीएम योगी के गिद्धों को लाश, सुअरों को गंदगी मिली 'वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, बाबा एक मुख्यमंत्री हैं और वह क्या बोलते हैं, इस पर



मैं क्या ही टिप्पणी करूँ।

उन्होंने जो उदाहरण दिया है, वह संसदीय परंपरा के विपरीत है। अगर मैं भी उदाहरण दे दूँ कि कंस को भय था कि भगवान कृष्ण पैदा हो जाएंगे तो वह खत्म हो जाएंगे। ऐसी ही कुछ स्थिति यहां भी है। उन्होंने अखिलेश यादव को कृष्ण के तौर पर इंगित करते हुए जो कहानी सुनाई है उसमें कंस कौन है इस ओर भी इशारा किया है। उन्होंने जो बयान दिया वह इस प्रकार है एक राजा था जिसका नाम कंस था उसको भय

सीएम को सिर्फ गिद्ध दिखायी देते हैं : शिवपाल

सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने सीएम योगी के बयान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शब्दों का चयन सही नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और विपक्ष का दायित्व है कि अगर यूपी की व्यवस्था में कोई खानियां दिखती हैं तो सरकार का उस पर ध्यान दिलाए। महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ में कई लोगों की जान गई और यही बात उन्हें याद दिलाई जा रही है। मगर मुख्यमंत्री को तो सिर्फ गिद्ध ही दिखाई देते हैं।



था कि कृष्ण पैदा हो जाएंगे तो मैं खत्म हो जाऊंगा। कंस को 24 घंटे संशय रहता था और हमेशा प्रयास रहता था कि कृष्ण पैदा न हो वैसी ही स्थिति यहां की भी है।

17 महीने बाद सलाखों से बाहर आये अब्दुल्ला आजम

» जेल के बाहर समर्थकों ने बांटी मिठाई, आजम खान के परिवार में जश्न

4पीएम न्यूज नेटवर्क

हरदोई। उत्तर प्रदेश के हरदोई जेल में बंद सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खां मंगलवार को जेल की सलाखों से बाहर आ गए। एमपी-एमएलए कोर्ट से उनकी जमानत मंजूर होने के बाद सोमवार को रिहाई का आदेश जेल प्रशासन के लिए भेज दिया गया था। जेल का बाहर निकलते ही उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया।

बता दें कि दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में कोर्ट द्वारा अक्टूबर 2023 में सात साल की सजा सुनाए जाने के बाद से सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को रामपुर जेल और वहां से हरदोई जेल शिफ्ट किया गया था। अब्दुल्ला



बगैर एक शब्द बोले कार में बैठकर निकल गए अब्दुल्ला

अब्दुल्ला आजम की रिहाई की प्रक्रिया पूरी करने के बाद जैसे ही उनका नंबर आया जेल गेट से उनको बाहर निकाला गया। उस समय वे सफेद कुर्ता पैजामा और काली सदरी पहने हुए थे और काफी शांत नजर आ रहे थे, उनके बाल बड़े थे और वे उसकी चोटी बांधे हुए थे।

आजम हरदोई जिला जेल में 16 महीने 3 दिन रहे, इस दौरान पेशियों में वे कड़ी सुरक्षा में रामपुर भेजे जाते रहे।

